



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION

CIN: U32201UP1999SGC 024928

पत्र सं० 1153 / उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / विविध / 18-19

दिनांक :- 13.7.18

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव ऊर्जा के पत्र संख्या 5/2018/735/24-पी-2-18-सा० (144)/2017 दिनांक 14.06.2018 (प्रति संलग्न) एवं तत्कम में जारी कारपोरेशन के पत्र संख्या 777/पें एवं आ०-28/पाकालि/2017-60-पी/98(टी०सी०-1) दिनांक 30.06.2018 के अनुपालन में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों केस्को सहित से दिनांक 01.01.2018 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु पेंशन प्रपत्रों को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों यथा निदेशक पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को अग्रसारित करने हेतु स्थिति/प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है। उक्त अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय एवं अधीनस्थ स्थापित मुख्य अभियन्ता, (जल विद्युत) कार्यालय तथा अंचल लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ से सम्बन्धित पेंशन प्रकरणों में निम्न कार्यवाही की जायेगी।

1. दिनांक 01.01.2018 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रपत्र उनकी अन्तिम तैनाती कार्यालय के द्वारा कारपोरेशन के आदेश संख्या 777/पें एवं आ०-28/पाकालि/2017-60-पी/98(टी०सी०-1) दिनांक 30.06.2018 एवं अन्य संगत आदेशों में की गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्मित कर पूर्व प्रक्रिया की भाँति कार्मिकों के पद/संवर्ग के अनुसार अंचल लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ, मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय तथा लेखाधिकारी (पेंशन) केन्द्रीय लेखा कार्यालय को 4 प्रतियों में प्रेषित किये जायेंगे।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय, अंचल लेखा कार्यालय (सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ एवं लेखाधिकारी (पेंशन), केन्द्रीय लेखा कार्यालय में क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त पेंशन प्रकरणों को कारपोरेशन के उक्त आदेश दिनांक 30.06.18 एवं अन्य प्रभावी आदेशों के अनुरूप विधिवत जाँच की जायेगी एवं जाँच पत्र के संलग्न प्रारूप के साथ कारपोरेशन मुख्यालय के नामित नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। पेंशन प्रपत्र पर अंकित की गयी सूचनायें एवं उससे सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की सत्यता के लिये सूचना/प्रपत्रों को उपलब्ध कराने वाला प्राथमिक/प्रारम्भिक कार्यालय पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
3. पेंशन प्रपत्रों को निर्मित किये जाने एवं उसे पेंशन निदेशालय/मण्डलीय अपर निदेशक (कोषागार एवं पेंशन) को पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने हेतु अग्रसारित कराये जाने से सम्बन्धित समस्त कार्यालय स्तर पर प्रेषित पेंशन प्रकरणों एवं निस्तारित हुए प्रकरणों की पूर्ण सूचना कम्प्यूटर एवं रजिस्टर पर अभिरक्षित करानी होगी जिससे प्रबन्धन/शासन द्वारा इस विषय पर माँगी गयी सूचनायें सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकें।

उपरोक्त निर्देशों का नियमबद्ध एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(Handwritten Signature)

(सुधांशु द्विवेदी)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक 1153 उ0म0प्र0 लेखा/पेंशन/विविध/18-19/ तददिनांक 13.7.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्योंचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वित्त), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्योंचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (ट्रांसमिशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (वित्त)/उप महाप्रबन्धक (वित्त), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्योंचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/ मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।
12. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण पश्चिम मेरठ/पारेषण मध्य लखनऊ/पारेषण दक्षिण आगरा एवं पारेषण पूर्व इलाहाबाद।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/पेंशन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाईल।

(ए0सी0 पाण्डेय)

उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
सेवानिवृत्त पेंशन-जांच-सूची
(यू0पी0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 के अन्तर्गत)

श्रेणी:-

1. सेवा निवृत्तक का नाम.....
2. अंतिम इकाई का नाम.....
3. सेवा-निवृत्त के समय का पद.....
4. जन्म-तिथि..... सेवा प्रारम्भ तिथि.....
5. सेवा-निवृत्त तिथि.....
6. सेवा-निवृत्त के कार्यालय झाप सं० दिनांक के क्रम सं० पर अंकित
7. अर्हकारी सेवा का विवरण:-
 (1) एक्स-लाइसेंसी सेवा अवधि..... से
 (2) निगमीय सेवा अवधि..... से
8. सेवा विवरण :-
 (1) 20 वर्ष की आयु से पूर्व की सेवा.....
 (2) बिना वेतन के अवकाश अवधि.....
 (3) असत्यापित सेवायें.....
 (4) निलम्बन की अवधि (यदि कोई हो).....
 (5) सेवा व्यवधान की स्थिति.....
9. (1) अनन्तिम पेंशन की धनराशि.....
 (2) अनन्तिम आनुतोषिक की धनराशि.....
10. पृष्ठ संख्या जिन पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध हैं:-
 (1) भाग 1 पूर्ण/अपूर्ण
 (2) भाग 3 पूर्ण/अपूर्ण
 (3) भाग 4 पूर्ण/अपूर्ण
 (4) भाग 5 पूर्ण/अपूर्ण
 (5) भाग 5 {अ} पूर्ण/अपूर्ण
 (6) एनेक्चर "के" पूर्ण/अपूर्ण
 (7) संलग्नक 1. {बन्ध-पत्र अदेयता प्रमाण-पत्र हेतु}
 (7क) अदेयता हेतु इकाईयों को प्रेषित पंजीकृत पत्रों की छायाप्रतियाँ सत्यापित.....
 (8) संलग्नक 2. {बन्ध-पत्र पारिवारिक पेंशन हेतु}
 (9) संलग्नक 3. {शपथ-पत्र}
 (10) प्रपत्र 2..... वसूली की राशि.....
 (11) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र.....
 (12) अंतिम 34 माह का वेतन निर्धारण विवरण.....
 (13) वाणिज्यिक संस्थान में कार्य न करने की घोषणा पत्र {531} सी.एस.आर. के अंतर्गत.....
 (14) निगमीय आवास रिक्त करने का प्रमाण पत्र..... वसूली की धनराशि.....
 (14) महास्तार का ऋण अदेयता प्रमाण पत्र..... वसूली की धनराशि.....
 (15) फार्म "सी"
 (अ) अर्हकारी सेवाएं.....
 (ब) प्रतिनियुक्ति की अवधि की वसूली.....
 (स) अन्य वसूली.....
 (16) सी.एस.आर. के अनुच्छेद 470 {बी} के अन्तर्गत स्वीकृति {1} अनन्तिम..... {2} अन्तिम.....
- (11) वसूली की कुल धनराशि.....
- (12) सेवा पुस्तिका संलग्न है/ नहीं है (खण्ड संख्या).....
- (13) क्या वेतन निर्धारण की जांच उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा की गई.....
- (14) पेंशन आहरण हेतु कोषागार का नाम.....
- (15) अन्य देयों के भुगतान हेतु सम्बन्धित इकाई का नाम
- (16) क्या राशिकरण चाहते हैं? हां/ नहीं। राशिकरण का भाग/प्रतिशत.....
- (17) सेवा अवधि के अदेयता प्रमाण-पत्र.....